अनुदान संख्या 86 – सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
GRANT No. 86–DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*50,00*	*75,00*	*51,17*	*–23,83*
पूरक	*Supplementary*	*25,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*5,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	8451,63,00	8584,38,00	8136,21,47	–448,16,53
पूरक	Supplementary	132,75,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				141,61,60
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*		*5,90,00*	*4,87,08*	*–1,02,92*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*5,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original		10635,02,00	9071,38,61	–1563,63,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1539,53,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*23.83 लाख रु.*) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए *25.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 95 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 32 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.23.83 lakhs*) constituted 95 percent of the supplementary *appropriation of Rs.25.00 lakhs* obtained in March, 2006 and 32 percent of the total sanctioned *appropriation.*

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*50.00*			
पू.	*S.*	*25.00*	*70.00*	*51.17*	*–18.83*
पु.	*R.*	*–5.00*			

(I) ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *50.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *25.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *75.00 लाख रु.* कर दिया गया। तथापि, *23.83 लाख रु.* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) न्यायालय के अधिमत को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से आवश्यकताएं कम होने के कारण हुई।

(I) Under "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works – Road Works under BRDB" – the original *appropriation* of *Rs.50.00 lakhs* was augmented to *Rs75.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.25.00 lakhs*. However, there was a saving of *Rs.23.83 lakhs* (including supplementary *appropriation*) - due to decreased requirements owing to non-finalisation of Court verdict.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (44816.53 लाख रु.) अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 13275.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.44816.53 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.13275.00 lakhs obtained in August, 2005 and March, 2006 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4702.00	4674.10	4266.12	–407.98
पु.	R.	–27.90			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "2552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	500.00			
पु.	R.	–500.00	. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	594892.00			
पू.	S.	10746.00	602961.30	600148.32	–2812.98
पु.	R.	–2676.70			
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport				
मू.	O.	4500.00			
पू.	S.	1.00	3736.00	3039.21	–696.79
पु.	R.	–765.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	234971.00			
पू.	S.	2528.00	232801.00	206167.82	–26633.18
पु.	R.	–4698.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	5598.00			
पु.	R.	–5494.00	104.00	. .	–104.00

(I) 6229.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6098.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3602'' -

(क) ''संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान'' -

(i) ''दिल्ली में सड़कें '' - 4384.00 लाख रु.;

(ii) ''पांडिचेरी में सड़कें'' - 360.00 लाख रु.; और

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें'' - 854.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कम प्रस्ताव प्राप्त होने और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत -

(क) '' राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' - 74714.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9896.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 84610.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सर्वाधिक कार्य की अवधि के समय बिटुमेन की कम आपूर्ति होने और साथ ही भारी बारिश होने तथा अधिकांश राज्यों में मानसून मौसम के देर तक

(I) Provision of Rs.6229.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads of these Rs.6098.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" – "Other Expenditure– Lump sum provision for Project/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.500.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3602" -

(a) "Grants for Union Territory Plan Schemes- Grants from Central Road Fund"-

(i) "Roads in Delhi" – Rs.4384.00 lakhs;

(ii) "Roads in Pondicherry" – Rs.360.00 lakhs; and

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Roads of Inter-State or Economic Importance" – Rs.854.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to receipt of less proposals and non-receipt of utilisation certificates from Union Territory Governments.

(II) Supplementary Grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Under Major Head "3054" -

(a) "National Highways-Road Works- Maintenance By Roads Wing"- the original provision of Rs.74714.00 lakhs was augmented to Rs.84610.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.9896.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2351.50 lakhs - due to short supply of

बने रहने के कारण 2351.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सड़क रख-रखाव'' - 7750.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 832.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 8582.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सतह बिछाने के लक्ष्य कम कर दिए जाने और बेहतर सवारी गुणवत्ता परियोजना निर्माण कार्यों के कुछ भागों का अंतरण कर दिए जाने के कारण 465.22 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' के अंतर्गत-

(क) ''सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य'' - 43312.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2430.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 45742.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में खराब मौसम के बने रहने के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर में अभूतपूर्व जलवायु की स्थितिहोने और गम्भीर भूचाल आने के कारण 1077.89 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर व्यय'' - 1687.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 98.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1785.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो योजनानुसार सुरक्षा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण 20.07 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' के अंतर्गत 435.88 लाख रु. की बचत (4702.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सड़क स्कंध द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन किए जाने में प्रक्रियात्मक विलंब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

bitumen during the peak working season and also heavy rains and extended monsoon season in most of the States.

(b) "Strategic and Border Roads - Road Works - Road Maintenance" - the original provision of Rs.7750.00 lakhs was augmented to Rs.8582.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.832.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.465.22 lakhs - due to reduction in resurfacing targets and transfer of some stretches of Improved Riding Quality Project works.

(B) Under Major Head "3601"- "Non Plan Grants-Strategic and Border Roads-Road Works"-

(a) "Road Works under BRDB"- the original provision of Rs.43312.00 lakhs was augmented to Rs.45742.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2430.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1077.89 lakhs- due to unprecedented climatic condition and sever earthquake in Jammu and Kashmir in addition to sustained bad weather in the North – Eastern Region.

(b) "Expenditure on security Cover"- the original provision of Rs.1687.00 lakhs was augmented to Rs.1785.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.98.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.20.07 lakhs - due to non-availability of security cover as planned.

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat– Ministry of Road Transport and Highways" – saving of Rs.435.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4702.00 lakhs) was due to procedural delays in Information Technology up-gradation by Border Roads Wing.

(IV) Under Major Head "3054" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - मशीनरी और उपस्कर - मशीनरी और उपस्करों का रख-रखाव'' - 152.41 लाख रु. की बचत (155.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए प्रत्यक्ष अदायगी प्रक्रिया न होने के परिणामस्वरूप प्रतिपूर्ति की लंबी प्रक्रिया होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का लेखा-जोखा न होने के कारण हुई।

(A) "National Highways - Machinery and Equipment - Maintenance of Machinery and Equipments" - saving of Rs.152.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.155.00 lakhs) was due to non-accountal of expenditure incurred by the State Government due to long procedure of reimbursement in the absence of Direct Payment Procedure for the repairs and maintenance of Machinery and Equipment.

(खा) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव'' - 626.95 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुन:सतह बिछाने के लक्ष्यों में कमी किए जाने के कारण हुई।

(B) "National Highways-Road Works – Maintenance By Border Roads Wing"- saving of Rs.626.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2200.00 lakhs) was due to reduction in resurfacing targets.

(गा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - अन्य व्यय - सड़क निर्माण कार्य'' - 821.05 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूटान में आयोजित लक्ष्यों में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Strategic and Border Roads-Other Expenditure-Road Work" - saving of Rs.821.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to reduction in targets planned in Bhutan.

(घा) ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - केंद्रीय सड़क निधि से बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान'' - 737.14 लाख रु. की बचत (937.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा दिए जाने में विलंब होने और साथ ही कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(D) "District and Other Roads- Road Works- Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without Legislature" - saving of Rs.737.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.937.00 lakhs) was due to delay in award of contracts also on account of receipt of less proposals.

(ङ) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - राजमार्ग अनुसंधान'' - 234.61 लाख रु. की बचत (635.000 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से नई परियोजनाएं स्वीकृत न किए जाने और कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण हुई।

(E) "General –Research and Development- Highway Research" - saving of Rs.234.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.635.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new projects owing to technical and administrative reasons and less training programmes.

(V) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''अनुसंधान - सड़क सुरक्षा'' के अंतर्गत 1334.65 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3556.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर-सरकारी संगठनों की ओर से अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने, रोगी वाहनों की विनिर्दिष्टियों को अंतिम रूप देने में विलंब होने और राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3055" – "Research – Road Safety" – saving of Rs1334.65 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3556.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-submission of final action report on behalf of NGOs, delay in finalisation of specifications of ambulances and receipt of less proposals from State Governments.

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य'' -

(क) ''सड़क रख-रखाव'' - 1858.53 लाख रु. की बचत (18623.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुन: सतह बिछाने के लक्ष्यों में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''हवाई ढुलाई प्रभार'' - 275.96 लाख रु. की बचत (589.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वायुसेना से योजनानुसार हवाई ढुलाई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(खा) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - राज्य सड़क के लिए अनुदान'' - 18127.28 लाख रु. की बचत (147855.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा दिए जाने में विलंब होने और राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़क'' - 7596.17 लाख रु. की बचत (16205.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य'' - 2360.79 लाख रु. की बचत (6600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोधपुर बाइपास और अन्य सड़क भागों के लक्ष्यों में कमी कर दिए जाने और साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ होने से अस्थिरता होने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत 69.64 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत थी।

(VI) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works" -

(a) "Road Maintenance" – saving of Rs.1858.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18623.00 lakhs) was due to reduction in resurfacing targets.

(b) "Air Lift Charges"- saving of Rs.275.96 lakhs(against the sanctioned provision of Rs.589.00 lakhs) was due to non-availability of Air Lifts as planned from the Air Force.

(B) "Grants for State Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Grants for State Road"– saving of Rs.18127.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.147855.00 lakhs) was due to delay in award of contracts and receipt of less proposals from State Governments.

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Road of Inter-State or Economic Importance" – saving of Rs.7596.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16205.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(D) "Grants for Central Plan Schemes – Strategic and Border Roads - Road Works - Road Works under BRDB" – saving of Rs.2360.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6600.00 lakhs) was due to reduction in targets of the Jodhpur bypass and other road stretches and also instability caused by insurgency in the Kashmir Valley.

(VII) Under one head saving of Rs.69.64 lakhs occurred constituting 36 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत 94.69 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थी।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of Rs. 94.69 lakhs occurred under one head constituting 19 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	81572.00		..	..	..
पु.	R.	–81572.00				
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.	921930.00		849549.00	847138.61	–2410.39
पु.	R.	–72381.00				

(I) 81572.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान' के अंतर्गत एक मामले में आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.81572.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Other Expenditure – Lumpsum provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes of the North Eastern Region and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads:-

(का) "स्थायी पुल - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य" - 5451.84 लाख रु. की बचत (9000.00

(A) "Permanent Bridges – Work Financed from National Highways Permanent Bridges Fees

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Fund"– saving of Rs.5451.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(खा) ''सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य'' - 80913.91 लाख रु. की बचत (543530.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 6 लेन बनाने और एक्सप्रेस मार्गों से संबंधित स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और साथ ही पश्चिम बंगाल गलियारा परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्माण कार्य अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Road Works – Works under Roads Wing"– saving of Rs.80913.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.543530.00 lakhs) was due to non finalisation of the schemes relating to 6 laning and expressways and also works relating to West Bengal Corridor Project transferred to National Highways Authority of India.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''5054'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5054" - under the following heads:-

(I) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - मशीनरी तथा उपस्कर - मशीनरी तथा उपस्कर'' - 262.46 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(I) "National Highways – Machinery and Equipment – Machinery and Equipment" – excess of Rs.262.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs); and

(II) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य'' - 11311.90 लाख रु. का अधिक व्यय (41426.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under BRDB" – excess of Rs.11311.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.41426.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

6. केन्द्रीय सड़क निधि :-

6. ***Central Road Fund:-***

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लिटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-01 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/- रु. प्रति लिटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provision of 2000-2001 an additional tax of Rs.1/- per litre has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. The additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and

को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को यह निधि जारी की जाती है।

वर्ष 2005-2006 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था :-

releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

The Account of the Fund for 2005-2006 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	3294,84,86
प्राप्तियां	Receipts	4975,69,00
अदायगियां	Payments	4655,10,41
अंतशेष	Closing Balance	3615,43,45

7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि :-

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत 25.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 100.00 लाख रु. से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में ''राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि'' को अंतरित कर दिया जाता है । संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

वर्ष 2005-2006 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

7. *National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-*

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than Rs.25.00 lakhs and upto Rs.100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and there after all the bridges costing more than Rs.100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fees Fund" in the Public Account of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

The Account of the Fund for 2005-2006 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	265,27,18
प्राप्तियां	Receipts	80,00,00
अदायगियां	Payments	35,48,16
अंतशेष	Closing Balance	309,79,02